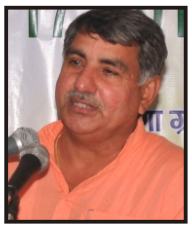

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

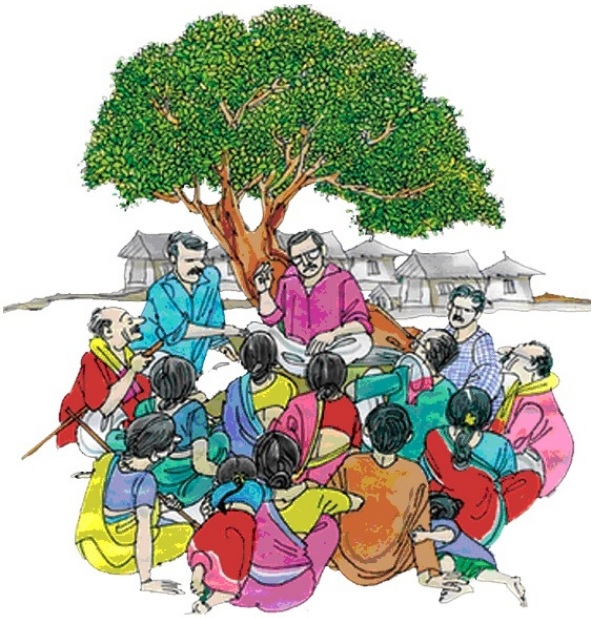

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग
हरियाणा

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियाद तथा ग्रामीण विकास की धुरी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्री राजीव गांधी ने सदा इन संस्थाओं को मजबूत बनाने की वकालत की थी। श्री राजीव गांधी तो हमेशा यही कहते थे कि जब तक गांवों में लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत नहीं होंगी, तब तक देश में लोकतंत्र भी मज़बूत नहीं होगा। वे यह भी मानते थे कि जब तक गांवों में पंचायतों को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती और उन्हें विकास कार्यों में भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक सही अर्थों में देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत बनाने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में 1989 में पेश किया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 उनके स्वपन को साकार करने की लिए ही बनाया गया।

यह हमारे देश के प्रजातन्त्र के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है तथा महत्वपूर्ण अधिकार एवं जिम्मेवारियां दी गई हैं। इससे निसंदेह सत्ता के विकेन्द्रीकरण के एक नये युग की शुरुआत हुई है।

यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में वर्तमान केन्द्र सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की गति को तेज करने पर अधिक से अधिक बल दे रही है।

हरियाणा सरकार ने भी पिछले छः सालों में श्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु निम्न ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए हैं:

- पंचायती राज संस्थाओं को नये अधिकार दिये गए हैं तथा उनके प्रतिनिधियों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है।
- हरियाणा देश का वह पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों, जैसेकि स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण और कृषि विभाग इत्यादि की गतिविधियों को लागू करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सौंपे हैं।
- इसी दिशा में जन स्वास्थ्य विभाग एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा गांवों में लगाए गए टयूबवैलों के संचालन हेतु कार्मिक तथा फण्ड पंचायतों का दिए गए हैं।
- पहले ग्राम पंचायतों को केवल पांच लाख रुपये तक के, पंचायत समितियों को 10 लाख रुपये तक और जिला परिषदों को 15 लाख रुपये तक के विकास कार्यों अपने स्तर पर करवाने का अधिकार प्राप्त थे। अब इन्हें किसी भी सीमा तक के कार्य करवाने के अधिकार दे दिये गये हैं।
- इन संस्थाओं को दी जाने वाली ग्रांट की राशि भी सीधे ही उनके खाते में जमा करवाई जाएगी।
- अध्यक्ष जिला परिषद को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का अध्यक्ष बना दिया गया है।

- सभी कार्यों के सोशल ऑडिट का प्रावधान करके ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी बढ़ा दी गई है। सोशल ऑडिट के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा अब ग्राम पंचायत के कार्यों तथा विकास कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जाएगी।
- इससे जन भागीदारी बढ़ेगी और कार्यों की गुणवता में सुधार आएगा।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य सरकार ग्रामीण उत्थान तथा आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए पूर्णतय कटिबद्ध है।
- खाद्य एवं आपूति विभाग द्वारा खण्ड व जिला स्तरों पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। खण्ड स्तर पर इनकी अध्यक्षता पंचायत समिति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। इन समितियों में हर खण्ड से दो सरपंचों को भी नामित किया जाएगा।
- लोगों को बिजली के बिल समय पर भरने को सुनिश्चित करने के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतें बिलों की राशि वसूलने में बिजली विभाग की सहायता करेंगी और प्रेरक का कार्य भी करेंगी। निर्धारित मापदण्ड से अधिक वसूली होने पर इसकी 20 प्रतिशत राशि पंचायतों को प्रोत्साहन के रूप में हर महीने दी जाएगी।
- ग्राम पंचायतें उपभोक्ताओं और डिफाल्टर्स को समय पर बिल भरने के लिए जागरूक करेंगी तथा कुण्डी कनैक्शन लगाने वालों को जुर्माने से बचने के लिए नियमित कनैक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी। अतिरिक्त नये कनैक्शन या कुण्डी कनैक्शन नियमित होने पर हरेक वसूली पर 200 रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- जिन गांवों में नियमित रूप से 90 प्रतिशत से अधिक की वसूली होगी उन्हें प्रोत्साहन के रूप में दो घण्टे अतिरिक्त बिजली दी जाएगी।
- पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।
- राज्य सरकार ने दूसरे और तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है तथा मार्च, 2005 से लेकर अब तक लगभग 600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों को विकास कार्य करवाने हेतु उपलब्ध करवाई गई है।
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को निम्न सुविधाएं भी दी गई हैं:
    - उनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है।
    - सरपंच द्वारा रखे जाने वाले कैश-इन-हैण्ड की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है।
    - सरपंच को 1500 रुपये प्रतिमाह तथा पंच को 400 रुपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाने लगा है।
    - पंचायत समिति के प्रधान को 4500 रुपये और सदस्यों को एक हज़ार रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलने लगा है।
    - जिला परिषद् के अध्यक्ष को 6,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 4500 रुपये तथा सदस्यों को दो हज़ार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाने लगा है।

- गांवों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने तथा विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पिछले छः वर्षों में लगभग पांच हज़ार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान ग्रामीण विकास पर लगभग 1100 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
- प्रदेश के 98 गांवों को आदर्श गांव के तौर पर विकसित किया जा रहा है, इनमें से 89 में विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
- गांवों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 10,300 से अधिक सफाई कर्मी लगाए गये हैं।
- गांवों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने वाली पंचायतों को हर वर्ष खण्ड, जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है।
- 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना' के तहत हरियाणा में प्रतिदिन 179 रुपये की मजदूरी दी जा रही है, जो कि देश में सबसे अधिक है।
- अनुसूचित जाति बहुल आबादी वाले गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- 20 करोड़ रुपये खर्च करके अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की 4500 से अधिक चौपालों की मुरम्मत की गई है।

- राज्य के उन सभी गांवों में पक्की गलियां और नालियां बनवाई जा रही हैं, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है। ऐसे गांवों में पंचायत घर और चौपालों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। अब तक इन कार्यों पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है।
- ''महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना'' के तहत अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'ए' तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 36 बिरादरी के परिवारों को गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लाट मुफ्त दिये जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक तीन लाख 70 हजार प्लाट पात्र व्यक्तियों को अलाट किये जा चुके हैं। अब यह निर्णय भी लिया गया है कि प्लाट की रजिस्ट्री पति-पत्नी दोनों के नाम होगी।

महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय :

माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा जो सबसे बड़ा एवं साहसिक निर्णय यह लिया गया है कि अब जिला परिषद् अध्यक्ष ही जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी का अध्यक्ष होगा। इससे इन एजेन्सियों के कार्य में और अधिक पारदर्शिता आएगी एवं पंचायती राज संस्थाओं की इनमें भागीदारी भी बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा पंचायतों को अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से सभी स्कीमों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 800-1100 करोड़ रू. की राशि पंचायतों के खातों में सीधे भेजने का साहसिक निर्णय भी लिया गया है। इस विषय में विभाग द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं:

- ग्राम पंचायतें अपने खाते बैंकों में सरपंच, ग्राम सचिव व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के नाम पर खोलेंगी और इनका संचालन सरपंच एव ग्राम सचिव द्वारा किया जाएगा। लेकिन विशेष स्थिति में उपायुक्त यह निर्णय भी ले सकते हैं कि यह कार्य ग्राम सचिव व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाए।
- हरियाणा ग्रामीण विकास फण्ड स्कीम को छोड़कर बाकी सभी स्कीमों के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ही दी जाएगी।

- 10 लाख रू. तक के कार्य पंचायतें सीधे अपने स्तर पर करवा सकेंगी। इन्हें चाहे तो वे स्वयं कर सकती है या किसी लोकल ठेकेदार से या पंचायती राज के तकनीकी अमले से करवा सकती हैं।
- 10 लाख रू. से उपर के कार्य पंचायतें, पंचायती राज के तकनीकी अमले से (जो विभागीय रूप में या ठेकेदार के माध्यम से) करवाएंगी। सभी भुगतान पंचायतों द्वारा तकनीकी अमले से तसदीक के बाद ही किया जाएगा।
- सरपंच तथा ग्राम सचिव कार्य शुरू करने से पहले संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/एस0डी0ओ0 (पंचायती राज) को सूचित करेंगे। बी0डी0पी0ओ0/एस0ई0पी0ओ0 सभी कार्यो का निरीक्षण करेंगे तथा रिकार्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करेंगे।
- अगर कोई राशि बिना अनुमति के निकाली जाती है तो बी0डी0पी0ओ0/एस0ई0पी0ओ0 पुलिस में केस रजिस्टर कराएंगे ।
- डी0सी0/ए0डी0सी0/डी0डी0पी0ओ0/डिप्टी सी0ई0ओ0, जिला परिषद कम से कम क्रमश : 1, 2, 5 एवम 5 प्रतिशत विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे ।
- जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य अपने-अपने वार्डों में विकास कार्यों का निरीक्षण कर सकेगें।

- उपायुक्त जिला स्तर पर सभी निर्वाचित सदस्यों एवं सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबंध करेंगे ।
- डी0डी0पी0ओ0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो राशि पंचायतों को स्थानान्तरित की गई हो, उसका समय पर सही उपयोग किया जाए।
- अगर कोई राशि स्वीकृत कार्य की जगह किसी अन्य कार्य पर खर्च की जाती है तो सरपंच व ग्राम सचिव राशि के दुरूपयोग के जिम्मेवार होंगे तथा उनसे उसकी वसूली की जाएगी ।
- उपयोग में आने वाली विभिन्न सामग्री जैसे रोडा, बजरी, सीमेन्ट आदि के रेट निर्धारण हेतु अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलावार कमेटी का गठन किया जायेगा। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभिंयता पंचायती राज तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक इसके सदस्य होगें। एक बार निर्धारित किये गये रेट 6 माह तक वैध रहेगें ।
- भवन निमार्ण के कार्यों जैसे नीवं का डालना, डी पी सी तथा छत डालने के दौरान कनिष्ठ अभिंयता/ उपमण्डल अधिकारी उपस्थित रहेगें ।
- विकास कार्यों हेतु निकाली गयी राशि की सूचना सम्बंधित ग्राम सचिव द्वारा खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी के कार्यालय को दी जायेगी ।
- सभी अदायगी रेखांकित चैक के द्वारा, जिस पर सरंपच एवं ग्राम सचिव के हस्ताक्षर होगें, के माध्यम से ही की जायेगी। कोई भी राशि की अदायगी अग्रिम राशि के तौर पर नहीं दी जायेगी ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

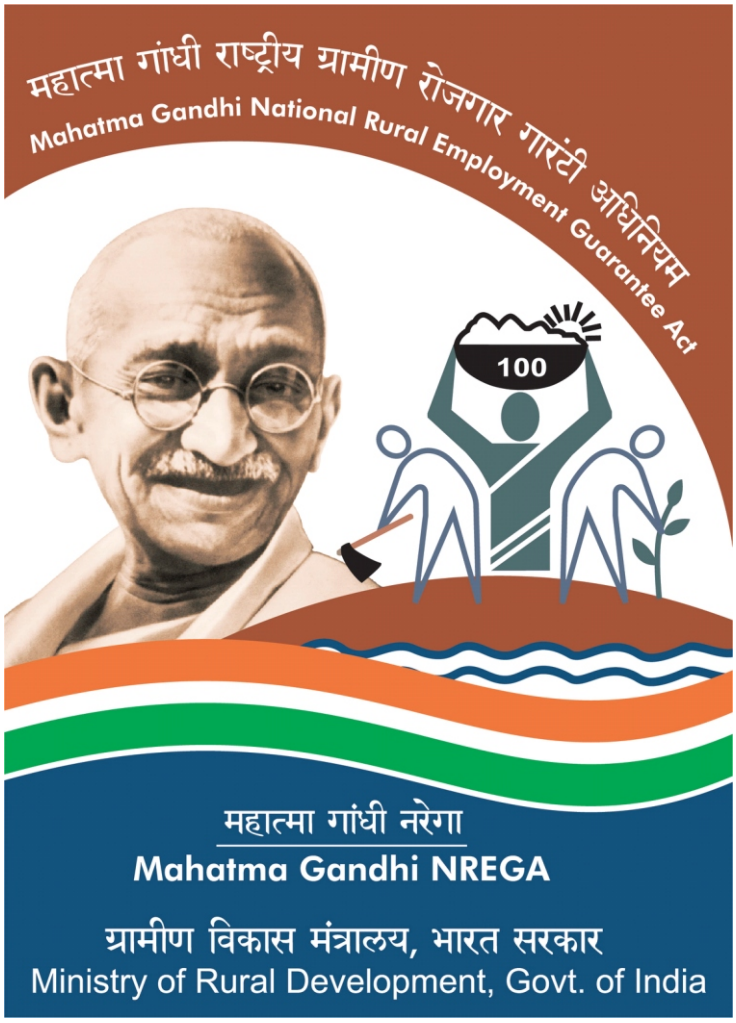

मनरेगा एक दृष्टि में
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी रोज़गार एक्ट)

मनरेगा भारत सरकार का ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों का रोज़गार आवश्यक रूप से देना सुनिश्चित किया गया है।

यदि गांव में मज़दूर के मांगने पर 15 दिनों के अन्दर-अन्दर रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो ग्राम पंचायत से मनरेगा के अंतर्गत मज़दूर को बेरोज़गारी भत्ता लेने का कानूनी हक है ।

इसके मुख्य बिन्दुओं का इस पुस्तक में संक्षिप्त विवरण है।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा क्या-क्या काम करेगी:-

- ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन करेगी। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत अपनी कार्य योजना तैयार करेगी।
- गांव के भीतर किये जाने वाले कार्यों की देख-रेख करेगी।
- गांव की समस्त परियोजना के लिए नियमित सामाजिक लेखा-जोखा ग्राम सभा करेगी।
- ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सामाजिक लेख-जोख के दायरे में आने वाले कार्यों की जांच पड़ताल करेगी।
- ग्राम पंचायत विभिन्न कार्यों से संबंधित सभी कागजात ग्राम-सभा को उपलब्ध कराएगी जैसे:
    - मस्टर रोल
    - बिल
    - वाउचर

- मापतोल किताब (एम.बी.)
- ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जानकारियां दी जा सकती हैं कि वह इस योजना के अंतर्गत अपना नाम दर्ज़ करवाने के लिए कैसे आवेदन करें।

ग्राम पंचायत क्या-क्या काम करेगी

❖ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों के अनुसार प्रस्तावों की पहचान तथा किये जाने वाले कार्यों को चालू करके उनकी देखभाल करेगी।

- ❖ ग्राम पंचायत अपने कार्य क्षेत्र के भीतर किसी भी योजना को लागू कर सकेगी जिसकी मंजूरी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने दी है।
- ❖ खण्ड स्तर कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत को मंज़ूरशुदा कार्यों के मस्टर रोल तथा रोज़गार के अवसरों की सूची से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कराएगा।
- ❖ ग्राम पंचायत, रोज़गार मांगने वाले आवेदकों को कार्यों का आवंटन करेगी।
- ❖ ग्राम सचिव, रोज़गार सहायक, मेट या अन्य कोई कर्मचारी जो इस कार्य के लिए रखा गया है, वह ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा जो ग्राम पंचायत की तरफ से आवेदन प्राप्त करेगा, जॉब कार्ड जारी करेगा व योजना से संबंधित रिकार्ड रखेगा।
- ❖ ग्राम पंचायत विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित सभी रिकार्ड ग्राम सभा को उपलब्ध करवायेगी जैसे मस्टर रोल, बिल, वाउचर, नाप-तोल किताब (एम.बी.) इत्यादि।
- ❖ प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी से हस्ताक्षरयुक्त मस्टर रोल प्राप्त करेगी।
- ❖ मज़दूरों को कार्य उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होगी, जिसकी सूचना सार्वजनिक रूप से सूचना पट्ट पर भी लगाई जाएगी।

- ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों में आवश्यक तकनीकी मानकों तथा मापदण्डों का ध्यान रखा जायेगा।
- ग्राम पंचायत का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यों की योजना तैयार करने, परिवारों का नाम दर्ज़ करने, काम का कार्ड जारी करने, रोज़गार देने तथा कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों को लागू करने और गांव स्तर पर कार्यों की देखरेख पर नजर रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत को ही सौंपा गया है।

ग्राम स्तर

(क) ग्राम -सभा

ग्राम-सभा तय करेगी कि नरेगा के तहत कौन-सा काम करवाना है, ग्राम-सभा निगरानी रखेगी और काम होने के बाद पैसों का हिसाब-किताब भी ग्राम सभा देखेगी। ग्राम सभा सभी कामों के विषय में जानकारी रखती है और जिम्मेवारी तय करती है। ग्राम सभा रजिस्ट्रेशन के लिए आए फार्मों की जांच करने के साथ-साथ पैसे का लेखा-जोखा भी रखेगी।

(ख) ग्राम पंचायत

मनरेगा को लागू करने में सबसे बड़ा हाथ ग्राम पंचायत का है। काम तय करने के बारे, परिवारों का रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड जारी करने, काम बांटने, कम से कम 50 प्रतिशत कामों को लागू करने और गांव में योजना लागू करने पर नज़र रखने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की ही है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगी, जॉब कार्ड जारी करेगी, काम करने के इच्छुक रोज़गार एवं काम के बंटवारे को भी तय करेगी। इतने अधिक कामों के कारण (यदि जरूरत हो तो ग्राम पंचायत में एक रोज़गार गारंटी सहायक की नियुक्ति की जा सकती है) उसे 'ग्राम स्वरोज़गार सेवक' या लोकल बोली के अनुसार किसी और नाम से पुकारा जा सकता है।

ब्लॉक स्तर

(क) पंचायत समिति

किसी भी योजना को बनाने और लागू करने के दौरान उस पर नजर रखने की जिम्मेवारी पंचायत समिति को दी गई है। जो काम ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है, उस काम में से 50 प्रतिशत की जिम्मेवारी पंचायत समिति को दी जाती है।

(ख) कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.)

हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर योजना को लागू करने की जिम्मेवारी बी.डी. ओ. को दी गई है। इस अधिकारी की जिम्मेवारियां इस प्रकार हैं:-

- ग्राम स्तर की योजनाओं की जांच करना
- ब्लॉक स्तर पर रोज़गार की मांग को देखते हुए रोज़गार के मौके देखने और मांग तथा मौकों में तालमेल बैठाना।
- मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करना।
- ग्राम सभा के जरिए सामाजिक हिसाब-किताब पूरा कराना।
- शिकायतों का निपटारा कराना।

किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे 15 दिनों के अंदर रोज़गार दिलाने की जिम्मेवारी बीडीओ की है। बीडीओ, एडीसी को जवाबदेह होगा।

जिला स्तर

योजना सही ढंग से लागू की जा सके इसके लिए सरकार ने मनरेगा के जिला स्तरीय अधिकारी (ए.डी.सी.) को हिसाब-किताब एवं प्रशासन की शक्तियां दी हैं।

जॉब कार्ड और रोज़गार योग्यता

मनरेगा के तहत सरकार सभी ग्रामीण परिवारों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराती है। एक वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार हर परिवार को दिया जाना है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति काम करना चाहते हैं तो एक साथ या अलग-अलग समय पर काम पर रखा जा सकता है, परंतु परिवार को कुल 100 दिन ही रोज़गार दिया जा सकता है, ये 100 दिन पूरे परिवार के लिए है, प्रति व्यक्ति के लिए नहीं।

- ❖ रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल अवश्य हो।
- ❖ वह ग्राम पंचायत के भीतर ही रहता हो, उस इलाके से बाहर के लोग, जो अब उस इलाके में ही रहते हों, वे भी ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो परिवार उस इलाके से बाहर जा चुके हैं, परंतु उनके वापिस लौटने की संभावना अभी भी हो, वे भी मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज़ करा सकते हैं।
- ❖ हर व्यक्ति जो शारीरिक मेहनत करने को तैयार हो, वह व्यक्ति अपना नाम दर्ज़ करा सकता है। ऐसा व्यक्ति एक परिवार के रूप में आवेदन करे।
- ❖ परिवार का अर्थ माता-पिता और उसके बच्चों से है। यदि परिवार में कुल एक ही सदस्य हो तो उस एक व्यक्ति को पूरा परिवार ही माना जाएगा।

जॉब कार्ड पाने का तरीका

- ❖ जॉब कार्ड पाने के लिए सादे कागज पर ही आवेदन किया जा सकता है। दरख्वास्त में परिवार के सभी सदस्यों के नाम होने चाहिए जो 18 साल से ऊपर हों और काम कर सकते हों। उनकी उम्र और जाति भी लिखी जानी

चाहिए, दरख्वास्त के लिए सरकार फार्म भी उपलब्ध करा सकती है। यदि छपा हुआ फार्म नहीं हो तो सादे कागज़ पर भी आवेदन किया जा सकता है।

- ❖ पंचायत के सामने मुंह से बोलकर भी दरख्वास्त दी जा सकती है।
- ❖ जो परिवार साल में कुछ समय के लिए रोजी–रोटी के लिए कहीं और चले जाते हैं ऐसे परिवारों को भी जॉब कार्ड दिया जा सकता है।
- ❖ ग्राम पंचायत 15 दिन के अंदर जॉबकार्ड जारी करेगी।
- ❖ हर परिवार को रजिस्ट्रेशन का नम्बर मिलेगा जिसे परिवार को मिलने वाले जॉब कार्ड पर लिख दिया जाएगा।

जॉब कार्ड

- ❖ प्रत्येक परिवार को जॉब कार्ड दिया जाएगा, इसे निश्चित समय सीमा में जारी किया जाएगा। इसे जरूरी कानूनी दस्तावेज समझा जाना चाहिए।
- ❖ जॉब कार्ड पर अपना विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नम्बर जरूर चैक कर लें।
- ❖ जॉब कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों के फोटो जरूर हों जो 18 साल से ऊपर के हैं।
- ❖ जॉब कार्ड की एक कापी पंचायत में रखी जाएगी।
- ❖ जॉब कार्ड की समय सीमा पांच वर्ष होगी। इस दौरान उसमें नाम काटे व जोड़े जा सकते हैं। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या वह पक्के तौर पर कहीं और जा बसा है तो इस बार की खबर तुरंत पंचायत को दें ताकि उसका नाम काटा जा सके। यदि परिवार का कोई सदस्य 18 वर्ष का हो गया है तो उससे दरख्वास्त लेकर उसका नाम उस परिवार के जॉब कार्ड में

दर्ज़ किया जाता है। ग्राम पंचायत हर साल इस रजिस्टर की और संबंधित परिवारों की जांच करेगी और नए पुराने आंकड़ों को समय-समय पर दर्ज़ करेगी।

- ❖ हटाए गए व नए जोड़े गए नामों की सूची ग्राम पंचायत पहले ग्राम सभा में पढ़ेगी फिर बी.डी.ओ; को भेजेगी।
- ❖ यदि जॉब कार्ड गुम हो जाता है या गल सड़ जाता है तो ग्राम पंचायत आवश्यक कागजी कार्यवाही के बाद अपने पास सुरक्षित पड़े जॉब कार्ड की डुप्लीकेट कापी संबंधित परिवार को देगी।
- ❖ अगर किसी व्यक्ति को जॉब कार्ड जारी न होने की शिकायत है तो वह बी.डी.ओ. को इस बात की जानकारी दे। संतुष्ट न होने की स्थिति में ए. डी.सी. के पास शिकायत भेज सकता है। इन शिकायतों का निपटारा 15 दिन के भीतर हो जाएगा।

काम के लिए आवेदन

- ❖ आमतौर पर काम के लिए ग्राम पंचायत में ही आवेदन करें, यदि ऐसा संभव नहीं तो बी.डी.ओ. को भी आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ आवेदन सादे कागज पर करें, उस पर जॉब कार्ड का रजिस्ट्रेशन नं लिखें, किस तारीख पर मजदूर काम करना चाहता है और कितने दिनों के लिए करना चाहता है यह भी अवश्य लिखें। बहुत सारी तारीखें और अवधियों के लिए एक ही आवेदन किया जा सकता है। कई आवेदन मिलकर संयुक्त आवेदन भी दे सकते हैं। आवेदन को इसके बदले रसीद दी जाएगी जिस पर आवेदन जमा कराये जाने वाले दिन की तारीख लिखी होगी।

रोज़गार अवसरों का आंबटन

- मनरेगा के तहत बी.डी.ओ. और ग्राम पंचायत नियमों के अनुसार आवेदन करने वाले मज़दूरों को किसी भी तरह का काम सौंप सकते हैं
- यदि ऐसी स्थिति बनती है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत क्षेत्र में रोज़गार के अवसर नहीं है तो ग्राम पंचायत इस बारे में बी.डी.ओ. को सूचना देगी। बी.डी.ओ. उस गांव से बाहर रोज़गार के अवसर तलाशेगा।
- जिन मज़दूरों को काम दिया जाना तय हो चुका है। उन्हें पत्र भेजकर सूचना दी जाएगी, इस बारे एक नोटिस बी.डी.ओ. के कार्यालय में भी लगाया जाएगा।
- रोज़गार देने के बारे में महिलाओं को पहल दी जाएगी ताकि कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोज़गार मिल सके।
- विकलांग व्यक्ति को उसके शरीर और बल वगैरह के हिसाब से काम दिया जाएगा।
- मजदूरों को काम करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होगी वह बी.डी.ओ. द्वारा मुहैया कराई जाएंगी, यदि मज़दूर बी.डी.ओ. के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हो तो इसकी सूचना ए.डी.सी. को दे सकते हैं।

समयबद्ध रोज़गार

- आवेदन प्राप्त होने की तारीख के 15 दिनों में रोज़गार देना ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है।
- यदि ग्राम पंचायत 15 दिनों में रोज़गार नहीं दे पाती तो बी.डी.ओ. की जिम्मेवारी बनती है कि रोज़गार दिलवाए।
- ए0डी0सी0 को सभी बी.डी.ओ. और मनरेगा के तहत काम करने वाले विभागों से तालमेल रखना होता है, यदि बी.डी.ओ. भी काम नहीं दिला पा रहा है तो ए.डी.सी. रोज़गार दिलाने के लिए जिम्मेवार होगा।

रोज़गार का रिकार्ड

- रोज़गार देने वाले विभाग को जॉब कार्ड पर यह दर्ज करना होगा कि अब तक काम करने वाले व्यक्ति को कितना भुगतान किया जा चुका है, और जितना भी भुगतान हुआ है, वह कितने दिनों के हिसाब से था।
- कार्य करने वाले मज़दूर स्वयं हाजिरी रजिस्टर देख लें कि उनकी हाज़िरी दर्ज़ कर ली गई है या नहीं।

मनरेगा के तहत हो सकते वाले काम

मनरेगा के उद्देश्य देहात में रोज़गार देना है, इस योजना के तहत निम्नलिखित काम कराए जा सकते हैं:-

- जल संरक्षण एवं जल संचय (जैसे नए जोहड़ खुदवाना), पुराने जोहड़ों का एरिया बढ़ाना और उनकी गाद निकालना तथा उनको गहरा करना।
- पीने के पानी के तालाब की खुदाई करना, गाद निकालना, उसकी सफाई करना, नए तालाब खोदना।
- सूखे से बचाव के लिए पेड़ लगाना और पेड़ों की रक्षा के उपाय करना।
- सिंचाई के लिए नहरों व खालों की खुदाई व मुरम्मत।
- अनुसूचित जाति के परिवार और ऐसे परिवार जिन्हें सरप्लस जमीन अलॉट हुई है या जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत मकान की सहायता राशि मिली, ऐसे परिवारों को सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाना।
- पुराने जल स्रोतों (जोहड़, नहर आदि) से गाद की निकासी एवं खुदाई।
- भूमि विकास (जमीन समतल करना)।
- खेतों व आबादी में से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए नाले-नालियों आदि की खुदाई।

- ❖ सड़कों/गलियों का जाल बिछाना, पुलिया बनाना व गांवों की गलियों/सड़कों के साथ नालियां बनाना।
- ❖ खेती लायक भूमि तक पक्की सड़क का निर्माण, श्मशान घाट तक पक्की सड़क का निर्माण, वे स्थल, जो जन-सामान्य के लाभ हेतु बनाये गये हैं, उन स्थलों तक पक्की सड़क का निर्माण एवम् गांव की अन्दरूनी नालियों तथा सड़कों का निर्माण।
- ❖ राज्य सरकार इस लिस्ट में केंद्र सरकार की मंजूरी लेकर ज़रूरत के अनुसार इस सूची में किसी और काम को भी जोड़ा जा सकता है। भावना यही रहनी चाहिए कि इन कामों का लाभ इलाके के कमज़ोर तबके तक ज़रूर पहुंचे, खासतौर से भूमि सुधार से जुड़े हुए काम छोटे किसानों तक पहले पहुंचे। जहां कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है ऐसे इलाकों में काम पहले मुहैया कराया जाएगा।

वेतन और भौतिक सामग्री अनुपात

इस योजना के तहत मज़दूरी और सामान का अनुपात 60:40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी हालत में किए गए खर्चे में से कम से कम 60 प्रतिशत मज़दूरों की मज़दूरी पर खर्च होनी चाहिए। मज़दूरी पर इससे ज्यादा खर्च किया जा सकता है, कम नहीं।

कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं

जिस जगह पर काम हो रहा है, वहां जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था जैसे जरूरी दवाइयां, पीने का पानी, छाया। यदि 6 साल से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चे हैं तो उनकी देखभाल के लिए एक औरत को रखा जाएगा, जिसको मज़दूर के बराबर मज़दूरी दी जाएगी।

वेतन भुगतान और बेरोज़गारी भताा

- ❖ राज्य सरकार के द्वारा खेतिहर मज़दूरों के लिए तय न्यूनतम मज़दूरी मनरेगा के तहत काम कर रहे मज़दूरों को दी जाएगी। मजदूरी की यह दर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाती है जो आजकल 179/- रू. प्रतिदिन (1 जनवरी 2011 के अनुसार) है।
- ❖ किसी भी सूरत में मज़दूरों को तय किए गए वेतन से कम मज़दूरी नहीं मिलेगी।
- ❖ ग्राम पंचायत मज़दूरों को एक हफ्ते के किसी भी तय किए गए दिन को भुगतान करेगी। भुगतान करने से पहले ऊंची आवाज में सब लोगों के सामने पढ़ा जाएगा कि किसी मजदूर को कितना भुगतान किया जाएगा।
- ❖ मजदूरों को समय पर वेतन मिलना चाहिए, हर हफ्ते वेतन पाना मजदूरों का हक है, इसलिए किसी भी हालत में 15 दिन से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए, यदि किसी कारण से 15 दिन से ज्यादा समय लगता है तो मज़दूर मुआवजे की मांग कर सकते हैं, जो कि राज्य सरकार के खजाने से चुकाया जाएगा।
- ❖ यदि मज़दूर चाहें तो उनके वेतन के एक हिस्से को जन कल्याणकारी योजनाओं (स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, प्रसूति लाभ आदि) में निवेश कर सकते हैं, यह मजदूर की अपनी मर्जी के अनुसार ही होगा।

दैनिक वेतन और इकाई दर

मज़दूरों को समय-दर व इकाई-दर से वेतन दिया जाएगा।

- ❖ समय-दर का मतलब दिहाड़ी से है।

- ❖ इकाई–दर का अर्थ माप के आधार पर किये जाने वाला भुगतान, मजदूरों को हर रोज अपने काम की माप देखने और जांचने का अधिकार होगा, यदि किसी मज़दूर को लगता है कि वह इकाई जो उसे काम के लिए दी गई है, उस हिसाब से दूसरों की अपेक्षा उसके हिस्से कम वेतन आ रहा है तो वह बी.डी.ओ. या अन्य उच्च अधिकारियों से दोबारा जांच करने के लिए कह सकता है।

काम की माप और दर अनुसूची

- ❖ सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि काम की पहचान स्पष्ट हो, और कोई भी चीज़ छिपी हुई न हो।
- ❖ जहां तक संभव हो हर काम के लिए अलग–अलग वेतन दर तय किए जाएं।
- ❖ काम का बंटवारा विभिन्न प्रकार की भूमि, ढलान और स्थितियों के हिसाब से इस प्रकार तय किया जाए कि सात घंटे तक सामान्य गति से काम करने पर मज़दूर को एक दिहाड़ी के बराबर मज़दूरी मिल जाए।
- ❖ बी. डी.ओ. काम का बंटवारा इस प्रकार करेगा कि अलग–अलग कामों (जैसे खुदाई और मिट्टी की ढुलाई) को एक जगह या उन्हें एक–दूसरे से न जोड़े।
- ❖ इकाई–दर से काम बांटते समय बी.डी.ओ. उस स्थान की स्थिति के अनुसार उचित निर्णय ले। खासतौर पर जिस इलाके की मिट्टी ढलान, अन्य ज़मीनी हालात तथा मौसमी उतार–चढ़ाव बाकी इलाकों से अलग है, ऐसे इलाकों में यह बात और भी ज़रूरी हो जाती है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काम के लिए अलग–अलग जगह पर अलग–अलग मज़दूरी तय कर दी जाए।
- ❖ अलग–अलग इलाकों में वहां के ज़मीनी हालातों के मदेनज़र अलग–अलग दर तय की जा सकती है।

बेरोज़गारी भता

मनरेगा के तहत यदि आवेदन देने वाले किसी मजदूर को उस तारीख से 15 दिन बाद भी रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिस तारीख से वह काम करना चाहता है तो सरकार तय की गई दर के हिसाब से आवेदक को बेरोज़गारी भत्ता देगी। इसके तुरत भुगतान की जिम्मेवारी बी.डी.ओ. की होगी।

बेरोज़गारी भत्ते के भुगतान में उस तारीख के बाद 15 दिन से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, यदि देरी होती है तो आवेदक मुआवजा पाने का अधिकारी होगा।

सूचना का अधिकार और स्वघोषणा

- मनरेगा से जुड़े हर मामले में सूचना अधिकार कानून का पूरा पालन होगा।
- मनरेगा से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए जमा कराई गई दरखवास्तों पर 7 दिन के भीतर कार्यवाही होगी।
- मनरेगा से जुड़े दस्तावेजों को किसी दरख्वास्त का इंतजार किए बिना ही बी.डी.ओ./ग्राम पंचायत जारी करेंगे।
- यह भी ध्यान रखा जाएगा कि सारी ज़रूरी सूचनाएं और रिकार्ड व जानकारियां जनता की सहज पहुंच में हों। अब तक मिली मांगों, रजिस्ट्रेशन, जारी किए जा चुके जॉब कार्डों की संख्या, काम मांगने और काम पा चुके व्यक्तियों की सूची, प्राप्त और खर्च हो चुका पैसा, किये जा चुके भुगतान आदि की प्रतियां तत्काल जनता को उपलब्ध कराना मनरेगा अधिकारियों की जिम्मेवारी है। मनरेगा के कार्यालयों के बाहर ये जानकारियां चिपकाई जाएंगी।
- ज़रूरी दस्तावेजों को इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। वेबसाइट का नाम भी प्रचारित किया जाएगा।

- ❖ प्रत्येक पंचायत संबंधित खातों को अपनी ओर से किसी तयशुदा स्थान पर चिपकाएगी और साल में कम से कम दो बार लेखा-जोखा, हिसाब-किताब ठीक करेगी।
- ❖ इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लघु किसान जिनके पास 1 हैक्टयेर नहरी व 2 हैक्टेयर असिंचित भूमि तथा सीमांत किसान जिनके पास 1 हैक्टेयर से कम भूमि है, उन किसानों को सिंचाई, सुविधा, पौधारोपण, उद्यान व भूमि समतल इत्यादि के कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- ❖ इस स्कीम के अंतर्गत भूमि मालिक को स्वयं भी जॉब कार्ड बनवाकर ग्राम पंचायत को अपनी भूमि पर काम करवाने के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र देना होगा।

चौकसी एवं निगरानी

- ❖ मनरेगा के तहत किए गए काम के लिए एक चौकसी और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, यह समिति ग्राम पंचायत द्वारा उसी इलाके के लोगों को लेकर बनाई जाएगी। यह ध्यान रखना होगा कि इस समिति में अनुसूचित जाति तथा औरतों को भी उचित जगह मिले। यह समिति काम के दौरान काम की रफ्तार और गुणवता पर नजर रखेगी।
- ❖ इस समिति को काम, गुणवता और समय-सीमा के बारे में उस विभाग द्वारा बताया जाएगा, जिसके लिए काम किया जाना है।
- ❖ इस समिति का गठन मज़दूरों के अधिकारों और सूचनाओं की सहज प्राप्ति हेतु किया जाता है। बी.डी.ओ. की जिम्मेवारी होती है कि वह इन समितियों का गठन समय पर कर ले।

शिकायतों की सुनवाई

- ब्लॉक स्तर पर बी.डी.ओ. और जिला स्तर पर ए.डी.सी. शिकायत सुनेंगे।
- यदि ग्राम पंचायत से शिकायत है तो उसके खिलाफ बी.डी.ओ. के पास अपील कर सकते हैं यदि बी.डी.ओ. से शिकायत है तो ए.डीसी. से मिल सकते हैं, यदि ए.डी.सी. से शिकायत है तो राज्य सरकार अपील करने के लिए किसी और उचित अधिकारी को नियुक्त करेगी।
- शिकायत दर्ज़ कराने वाले का नाम, शिकायत की प्रकार तथा शिकायत की तारीख को रजिस्टर में नोट किया जाएगा व इस बारे रसीद दी जाएगी ताकि उसे बी.डी.ओ. के कार्यालय से यह पता चल सके कि शिकायत पर कार्रवाई हुई है या नहीं। वैसे शिकायत करने वाले को कार्यवाही की जानकारी तत्काल ही देने की व्यवस्था है।
- सभी शिकायतों पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई होगी।
- शिकायतों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक सुनवाई (बाहर, सबके सामने) का भी इंतज़ाम रहेगा।
- ज़रूरत के हिसाब से, राज्य सरकार ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एक और शिकायत निपटारा समिति बना सकती है।
- बी.डी.ओ. के पास आई शिकायतों पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारियों को पंचायत समिति और ए.डी.सी. के पास आई शिकायतों पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारियों को जिला पंचायत की बैठक में पेश किया जाएगा।

सामाजिक हिसाब-किताब (फोरम) : मुद्दे

नीचे, चैक करने या जांच पड़ताल के लिए लिस्ट दी जा रही है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि

(क) क्या कानून के अनुसार नियमों और बताए गए हिसाब से, इन सब का सही-सही और ठीक ढंग से पालन हो पा रहा है या नहीं:-

- सरकारी रोज़गार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के काम को भली भांति और सही रूप से पूरा किया गया था या नहीं?
- क्या गांव की पंचायत की तरफ से उन परिवारों की लिस्ट तैयार की गई थी जो अपना नाम सरकारी काम के रजिस्टर में दर्ज़ कराने के इच्छुक हो सकते हैं?
- शुरुआती समय में जो नाम दर्ज़ किए गए थे, क्या वे ग्राम सभा की खास बैठक में ही किये गए थे?
- क्या ग्राम-सभा की बैठक में दर्ज़ किए गए नाम वाले आदमियों की लिस्ट पढ़कर सुनाई गई थी ताकि दर्ज़ किए गए नामों की जांच-पड़ताल हो सके?
- क्या गांव की पंचायत में नाम दर्ज करने का सिलसिला लगातार चलता रहता है?
- क्या दर्ज़ किए नामों की सूची की लगातार जांच-पड़ताल की जाती है और क्या उसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है?
- क्या आपके अपने आस-पास कोई ऐसा आदमी दिखाई देता है जो अपना नाम दर्ज़ कराना चाहता है लेकिन अब तक उसका नाम दर्ज़ नहीं हुआ है?

(ख) क्या जॉब कार्ड को तैयार करने, उन्हें बांटने और उनकी जांच-पड़ताल का काम साफ-सुथरे ढंग से पूरा किया गया:-

- ❖ क्या जॉब कार्ड, नाम दर्ज़ करने के बाद 15 दिनों में दे दिए गए थे?
- ❖ क्या जॉब कार्ड की लिस्ट की लगातार जांच-पड़ताल की जाती है और उसे ग्राम पंचायत के नोटिस-बोर्ड पर लगाया जाता है?
- ❖ क्या जॉब कार्डों की नकल वाली फाइल ग्राम पंचायत के दफ्तर में जांच के लिए मौजूद है?
- ❖ क्या जॉब कार्ड मुफ्त में जारी किए थे या उनके लिए फीस वगैरह के नाम पर पैसे वसूल किए गए थे?
- ❖ क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसने जॉब कार्ड लेने का प्रार्थना पत्र दिया हो और उसे अभी तक जॉब कार्ड नहीं मिला हो या कोई शिकायत बाकी हो?

(ग) क्या काम के लिए जो दरख्वास्त आती है उन पर तय किए गए मापदण्डों के हिसाब से कार्यवाही की जा रही है:-

- ❖ काम के लिए जो व्यक्ति दरख्वास्त देने आया है क्या उसे उस दरख्वास्त प्राप्त होने की तारीख लिखकर रसीद उस व्यक्ति को दी जा रही है या नहीं?
- ❖ क्या लोगों को समय पर काम दिया जा रहा है?
- ❖ क्या रोज़गार बांटने का काम साफ-सुथरे ढंग से, ईमानदारी से और सबकी संतुष्टि के साथ किया जाता है? और क्या दिए गए रोज़गार की लिस्ट पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई है?
- ❖ क्या उन लोगों को बेरोज़गारी भता दिया जा रहा है जिन्हें समय पर काम नहीं मिल पाया? ऐसे कुल कितने लोग हैं जिनके बेरोज़गारी भते का भुगतान बकाया है और क्या आदेशों के हिसाब से उन लोगों को 'लेट भुगतान' करने के बदले में हर्ज़ाना दिया जा रहा है?

- ❖ पिछले छः महीनों में जिन लोगों को बेरोज़गारी भते का भुगतान किया गया, क्या उनके नाम और उन्हें दिए गए रूपयों तथा भते के तौर पर दिए गए रूपयों के बारे में ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया था?
- ❖ रोज़गार के लिए दरख्वास्तों के प्राप्त होने, काम के बंटवारे संबंधी और बेरोज़गारी भते के भुगतान के बारे में क्या कोई शिकायत विचाराधीन या बकाया है?
- ❖ जिन लोगों को उनके घर से पांच किलोमीटर दूर काम दिया गया है क्या उनके न्यूनतम वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर के पैसे उसके आने-जाने के रूप में दिए जा रहे हैं?
- ❖ क्या रोज़गार के लिए प्राप्त दरख्वास्त पर तारीख के हिसाब से सभी को बारी-बारी से नम्बरवार लगा कर 'रोस्टर प्रणाली' का पालन किया जा रहा है?

(घ) कामों की मंजूरी में साफ-सुथरापन होनाः-

- ❖ क्या तय करने हेतु दिए गए कामों की लिस्ट ग्राम सभा की बैठक में तैयार की गई थी?
- ❖ क्या तकनीकी खर्च की अनुमानित लागत तैयार करने के दौरान ओवरसियर (जेई) ने गांव के निवासियों से सलाह-मशविरा किया था?
- ❖ क्या होने वाले कामों की जो मंजूरशुदा सूची थी उस में से कामों को, नियमों के हिसाब से ही चुना गया था?
- ❖ ग्राम पंचायत के इलाके में पिछले छह महीनों के दौरान जो काम मंजूर किए गए और लागू किए गए। क्या इन कामों के लिए जो धन मंजूर किया था उसके खर्च के बारे में असली ब्यौरा पढ़कर सुनाया गया था?
- ❖ क्या ग्राम पंचायत कामों की लिस्ट में नए जोड़े गए कामों को समय-समय पर जोड़ती है और निश्चित स्थान पर इस लिस्ट को चिपकाती है।

(ड.) काम करने में सलीका और साफ-सुथरापनः-

- जहां काम चल रहा है क्या उस जगह पर ऐसा कोई बोर्ड था जिस पर चालू काम के लिए मंजूर किया गया धन, कामों के अलग-अलग ढंग और बाकी जानकारियां दी गई हों।
- क्या काम के लिए जो आदेश दिए गए, उनके भेदभाव से दूर साफ-सुथरे ढंग से जारी किया गया और क्या उन कार्यों के बारे में ज़रूरी प्रचार किया गया था?
- क्या काम शुरू होने से पहले बैठक बुलाकर मज़दूरों को यह समझाया गया था कि उन्हें क्या काम करना है और उस काम के बारे में सरकार द्वारा तय मज़दूरी/दिहाड़ी क्या है?
- क्या काम के स्थान पर हाजिरी रजिस्टर रखा गया था और क्या ऐसी योजना बनाई गई थी कि जब भी वहां पर नया सामान आएगा तो कम से कम 5 मज़दूर उसकी जांच-पड़ताल करेंगे।
- जहां एक-एक मज़दूर के हिसाब से भुगतान किया जाना था क्या वहां सभी मज़दूरों के काम की हर रोज भली प्रकार से जांच की जाती थी?
- क्या साप्ताहिक वेतन का भुगतान करने के लिए, काम की आखिरी पैमाइश ओवरसियर (जे.ई.) द्वारा मज़दूरों की मौजूदगी में की गई थी?
- यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत आई हो तो क्या कानून के हिसाब से उस पर सात दिनों के भीतर कार्रवाही की गई थी ?
- क्या काम खत्म होने के बाद सात दिनों के भीतर एक खुली बैठक बुलाई गई थी जिसमें सारे मज़दूरों और गांव के सारे निवासियों को काम से जुड़े सारे रिकार्ड की जांच-प्ड़ताल करने का न्यौता दिया गया हो ?

(च) वेतन का भुगतान

- ❖ क्या सात दिन के अन्दर वेतन का भुगतान कर दिया गया है ?
- ❖ क्या पहले से तय किए गए स्थान और समय पर वेतन का भुगतान किया गया था ?
- ❖ क्या वेतन के भुगतान के समय भुगतान से संबंधित ब्यौरों को सबके सामने पढ़ कर सुनाया गया था ?
- ❖ क्या तय किये गये समय की सीमा के बाद जो भुगतान किए गए उनका कोई रिकार्ड रखा गया है ?
- ❖ क्या देरी से किए गए भुगतान के लिए मुआवज़ा दिया गया ?
- ❖ क्या किसी मज़दूर का वेतन अभी भी बकाया है ?
- ❖ क्या किसी मज़दूर को तय किए गए वेतन से भी कम वेतन दिया गया है? यदि हां तो क्यों ?

(छ) पूरे किये जा चुके हरेक काम के रिकार्ड तथा दस्तावेजों की जांच :

- ❖ क्या फाइल में सभी दस्तावेज मौजूद हैं ?
- ❖ क्या 'सामाजिक लेखा-जोखा फोरम' में कम से कम 15 दिन पहले सभी दस्तावेज जांच के लिए उपलब्ध करा दिए गए थे ?
- ❖ क्या 'सामाजिक हिसाब-किताब फोरम' से पहले और उसके दौरान जनता की जांच-पड़ताल के लिए सभी कामों की मोटी-मोटी जानकारी मौजूद थी ।

- मस्टर-रोल का मूल अंश पढ़कर सुनाया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की गलती न रह जाए।
- खर्चे गए धन की रसीदों का मूल अंश पढ़कर सुनाया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई गलती न रहे ।
- माप का जो रजिस्टर है उसका मूल अंश पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।
- काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद खींची गई तस्वीरें 'सामाजिक हिसाब-किताब फोरम' के मौके पर जनता के लिए खुले तौर पर मौजूद होनी चाहिए।
- क्या निगरानी और चौकसी बैठक का गठन तय किए गए नियमों के हिसाब से किया गया था ?
- क्या चौकसी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ?

(ज) कामों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ढंगः-

- चौकसी समिति ने रिपोर्ट के उन हिस्सों को पढ़कर सुनाया जाए जो नीचे लिखे कामों से जुड़े हैं कि ताकि गांव की सभा में उन पर ठीक से चर्चा हो सके ।
- काम की गुणवता ।
- काम के अलग-अलग ढंग ।
- न्यूनतम वेतन का भुगतान किया गया है या नहीं ?
- क्या खरीदी गई सभी चीजों का भुगतान हो चुका है ?

- यदि चौकसी समिति के पास कोई शिकायतें आई हों तो उन पर क्या कार्रवाही की गई ?
- काम की जगह पर जरूरी मौजूद सुविधाएं ग्राम पंचायत के सैक्रेटरी को अधूरे कामों और काम मे नहीं ली जा रही चीजों की लिस्ट तैयार करना चाहिए और हालत को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उस पर बातचीत होनी चाहिए ।
- 'सामाजिक हिसाब-किताब फोरम' के सामने पिछली बार की खर्च की हिसाब-किताब की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
- यदि किसी के वेतन या बेरोज़गारी भते का अब तक भुगतान नहीं किया गया तो सारे बकाया धन का पूरा ब्यौरा बैठक में पेश किया जाएगा। यह पूरी जानकारी उसी समय बी.डी.ओ. को भेज दी जाएगी ताकि उस पर ठीक ढंग से कार्यवाही की जा सके।
- सेवाओं के गुणों का लेखा-जोखा देखने के लिए काम करने वाले कर्मचारियों, जैसे ग्राम सेवक, ओवरसियर (जे.ई.) आदि की भी जांच पड़ताल की जा सकती है।
- इस बात पर खास नजर रखी जाती है कि बी.डी.ओ. की तरफ से गांव की पंचायत को जरूरी धन-राशि मिलती रहती है या नहीं?

HIRD

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान

नीलोखेड़ी-132117

Phone/Fax 01745-246039, 245649
Email: dirhird1@rediffmail.com, hirdnlk@gmail.com
website: www.hirdnilokheri.com